

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक :

क्रमांक एफ 2(53)ग्रावि-3/नरेगा परिषद- के.अ./09-10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

30 DEC 2009

विषय:- ग्राम पंचायत स्तर पर अपूर्ण कार्यों एवं असमायोजित राशि के मूल्यांकन के क्रम में।

महोदय,

ग्राम पंचायतों के निकट भविष्य में चुनाव के साथ ही नव-निर्वाचित सरपंच कार्यभार संभालेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि नरेगा सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रत्येक प्रगतिरत कार्यों एवं अब तक उपयोग की गई राशि के समायोजन उपरांत असमायोजित राशि का वर्तमान स्तर तक का मूल्यांकन किया जाकर असमायोजित राशि का निर्धारण दिनांक 25.01.2010 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे ताकि नव-गठित ग्राम पंचायतों में इन कार्यों को पूर्ण कराने में किसी प्रकार का संशय न हो एवं अधूरे कार्यों की स्टेज से आगे का कार्य नई पंचायत शीघ्र प्रारम्भ करा सके।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री / माननीय राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक समस्त मुख्यालय।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस